SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

हाथकरघा बुनकरों की कल्याणकारी योजनाएं: एक अध्ययन

संतोष कुमार देवांगन, शोधार्थी, **विनय शर्मा,** Ph.D., शोध निदेशक, **लखन चौधरी,** Ph.D., अर्थशास्त्र विभाग
स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग एवं शोध केन्द्र,
कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाईनगर सेक्टर 7, भिलाई जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
संतोष कुमार देवांगन
विनय शर्मा, Ph.D.
लखन चौधरी, Ph.D.
shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 22/07/2023
Revised on : -----
Accepted on : 31/07/2023
Plagiarism : 01% on 22/07/2023

शोध सार

छत्तीसगढ़ राज्य, हाथकरघा एक प्रमुख कुटीर उद्योग एवं बुनाई कला की एक समृद्ध परम्परा को स्थापित किए हुए है। इस उद्योग में रोजगार की विपुल सम्भावनाओं एवं बुनाई के समृद्ध सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय हस्तशिल्प व हाथकरघा बोर्ड, केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बुनकर सेवा केन्द्र (वस्त्र मंत्रालय) एवं राज्य स्तर पर राज्य वस्त्र निगम, हस्तशिल्प व हाथकरघा विकास निगम, ग्रामोद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित आदि कार्यक्रमों के माध्यम से हाथकरघा बुनकरों के कल्याण एवं बुनाई उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का हाथकरघा देश की अर्थव्यस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश की विरासत को संरक्षित करने का एक और तरीका है। शिल्प कौशल के क्षेत्र में इसकी उत्कृष्टता की एक लंबी परपंरा रही है, इसलिए यह एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ हथकरघा उद्योग में न्यूनतम आधारभूत संचरना लागत के साथ बड़े पैमाने पर ग्रामीण अजीविका प्रदान करने की क्षमता है। चुंकि कार्य का यह क्षेत्र उत्पन्न बिजली से स्वत्रंत है, इसलिए यह अतिरिक्त ताकत और उद्योग की वृध्दि का कारण है। इस क्षेत्र का लाभ संभावित कौशल प्रसार, कम पूजी गहनता और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। वर्तमान समय में जब बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों की भारी कमी है, तो यह उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प बनता जा रहा है।

मुख्य शब्द

हाथकरघा, कौशल प्रसार, रिवाल्विंग फण्ड योजना, सिंडिकेटेड लेखों, अंशपूंजी ऋण.

प्रस्तावना

हाथकरघा क्षेत्र सबसे बड़े असंगठित आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है। ग्रामीण और अर्धग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है। हाथकरघा बुनाई भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सबसे समृध्द और सबसे जीवंत पहलुओं में से एक है। 35.22 लाख बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्र को कम पूंजी सघनता, विद्युत का न्यूनतम उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल और छोटे उत्पादन के लचीलेपन, नवाचारों के लिए खुलापन तथा बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल होने का लाभ है। यह एक प्राकृतिक उत्पादक संपत्ति और कुटीर स्तर पर एक परंपरा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौशल के हस्तांतरण से कायम और विकसित हुई है।

हाथकरघा बुनाई काफी हद तक विकेंद्रीकृत है और बुनकर मुख्य रुप से समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गों से है, जो अपनी घरेलू जरुरतों के लिए बुनाई करते हैं और वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन के लिए भी योगदान करते हैं। इस उद्योग के बुनकर विभिन्न राज्यों के पारंपरिक शिल्पों को जीवित रखे हुए हैं। हाथकरघा वस्त्रों में हासिल की गई कलात्मकता और जटिलता का स्तर अद्वितीय है तथा कुछ बुनाई/डिजाइन अभी भी आधुनिक मशीनों के दायरे से बाहर हैं। हाथकरघा क्षेत्र उत्तम वस्त्रों, जिन्हें बुनने में महीनों लग जाते है, से लेकर दैनिक उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की लोकप्रिय वस्तुओं तक हर जरुरत को पूरा कर सकता है।

छत्तीसगढ़ का हाथकरघा देश की अर्थव्यस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश की विरासत को संरक्षित करने का एक और तरीका है। शिल्प कौशल के क्षेत्र में इसकी उत्कृष्टता की एक लंबी परपंरा रही है, इसलिए यह एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ हथकरघा उद्योग में न्यूनतम आधारभूत संचरना लागत के साथ बड़े पैमाने पर ग्रामीण अजीविका प्रदान करने की क्षमता है। चुंकि कार्य का यह क्षेत्र उत्पन्न बिजली से स्वत्रंत है इसलिए यह अतिरिक्त ताकत और उद्योग की वृध्दि का कारण है। इस क्षेत्र का लाभ संभावित कौशल प्रसार,कम पूँजी गहनता और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। वर्तमान समय में जब बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों की भारी कमी है, तो यह उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प बनता जा रहा है।

संचालित हाथकरघा योजनाएं

(क) राज्य प्रायोजित योजनाएं

(1) **समग्र हाथकरघा विकास योजनाः**— छत्तीसगढ़ राज्य में हाथकरघा उद्योग में रोजगारपरकता को और अधिक विकसित करने हेतु एक एकीकृत योजना, समग्र हाथकरघा विकास योजना संचालित की जा रही है। यह नियम समग्र हाथकरघा विकास योजना नियम—2022 के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अंतर्गत हाथकरघा वस्त्र बुनाई/विपणन में संलग्न बुनकर समितियों को रोजगार के प्रयोजन से प्रशिक्षण, गुणवत्ता सुधार, उत्पादन विकास, उत्पादन संवर्धन एवं अधोसंरचना विकास आदि एक कलस्टर में अधिकतम राशि रु. 60.00 लाख की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं। इस योजना के तहत निम्न घटकों में सहायता प्रस्तावित है—

- **नवीन बुनाई प्रशिक्षणः**— योजना के तहत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार एवं हाथकरघा बुनाई को रोजगार के साधन के रुप में अपनाने हेतु इच्छुक युवक—युवतियों को 20 के समूह में 4 माह का बुनाई प्रशिक्षण हेतु राशि रु. 6.80 लाख तक की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- **कौशल उन्नयन प्रशिक्षणः**— इस योजना के तहत ऐसी कार्यशील समिति के अर्धकुशल बुनकरों को 20 के समूहों में 2 माह का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राशि रु. 3.60 लाख तक की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है जो बाजार के अनुरुप नवीन डिजाईन एवं उच्च गुणवत्ता के वस्त्र निर्मित करने के इच्छुक हैं।
- **नवीन डिजाईन विकास सहायताः**— आधुनिक बाजार की प्रतिस्पर्धा में हाथकरघा वस्त्र उत्पादों को

सम्मिलित करने तथा उत्कृष्ट डिजाईन एवं रंग संयोजन के वस्त्र उत्पादन से बुनकरों को पारिश्रमिक में वृद्धि तथा नियमित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को नये डिजाईनों के विकास के लिए डिजाईनर की सेवा एवं कैड सिस्टम क्रय हेतु 4.60 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

- **उन्नत उपकरण सहायताः**— योजनांतर्गत समिति में बुनाई कार्य के इच्छुक करघा विहीन को नये करघे अथवा कार्यशील बुनकर सदस्यों को उत्कृष्ट गुणवत्ता/डिजाईन के वस्त्र तैयार करने हेतु नये करघे, सहायक उपकरण, डाबी, जेकार्ड के लिए प्रति बुनकर अधिकतम रुपये 34000 तक की सहायता दिया जाना प्रस्तावित है।
- **अधोसंरचना निर्माण सहायताः**— प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति को ताना मशीन की स्थापना साइजिंग कार्य, वार्पिंग कार्य, सामान्य सुविधा केन्द्र भवन का निर्माण, रंगाई घर स्थापना, लूम स्थापित करने हेतु कर्मशाला भवन निर्माण,धागा/रंग रसायन के संग्रहण हेतु गोदाम, कार्यालय भवन हेतु सहायता राशि दिया जाना प्रस्तावित है। सहायता हेतु समिति की आवश्यकता का आंकलन पर भवन निर्माण हेतु शासकीय एजेन्सी (लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) के द्वारा तैयार प्राकलन के आधार पर वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है। एक समिति को इस योजनांतर्गत अधिकतम रुपये 20.00 लाख तक की सहायता दी जावेगी।
- **करघागह सहायताः**— योजना के तहत समिति के कार्यशील बुनकर सदस्य को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति बुनकर 50000 रुपये के मान से आवास निर्माण हेतु सहायता दिया जाता है। यह सहायता प्रति आवेदक समिति को 1 वर्ष में अधिकतम 25 बुनकरों के लिए अधिकतम रुपये 12.50 लाख तक ही दी जाती है।
- **भवन जीर्णोद्धार सहायताः**— योजना के तहत ऐसी प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति जिनके पास कर्मशाला, रंगाई घर, कार्यालय सह गोदाम अथवा समिति के उपयोग के लिए भवन विगत 10 वर्ष पूर्व से निर्मित हो तथा वर्तमान में जीर्ण—शीर्ण होने के कारण उपयोग मे न आ रही हो ऐसे भवनों के मरम्मत उपरांत समिति के व्यापार विकास में उपयोग आने की पूर्ण संभावना हो तो भवन मरम्मत हेतु शासकीय एजेंसी द्वारा तैयार प्राकलन के आधार पर भवनों के मरम्मत के लिए सहायता स्वीकृत की जाती है।
- **बुनकर आवास क्षेत्र में बुनियादी सहायताः**— ऐसे बुनकर कलस्टर क्षेत्र जहां 50 से अधिक बुनकर परिवार निवासरत हों तथा हाथकरघा बुनाई से संलग्न हों वहाँ बुनकरों को रोड डेनेज, पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप, बाउन्ड्रीवाल आदि बुनियादी सहायता संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु बुनकर निवासरत क्षेत्र के स्थानीय आवश्यकता का आंकलन संबंधित जिला हाथकरघा कार्यालय द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात आवश्यकतानुसार शासकीय एजेन्सी लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राकलन तैयार किया जाता है। एक आवेदक संस्था को इस योजना के तहत अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक की सहायता स्वीकृत की जाती है।
- **विपणन प्रचार हेतु सहायताः**— इस योजना के तहत एक कलस्टर विशेष से उत्पादित हाथकरघा वस्त्रों के प्रचार प्रसार हेतु 1.00 लाख रुपये तक की सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। यह सहायता उन आवेदक संस्था को स्वीकृत की जायेगी जिनका गैर शासकीय वस्त्रों में वार्षिक टर्न ओवर 50.00 लाख रुपये से अधिक हो तथा संस्था के कार्यक्षेत्र में हाथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार से विपणन में अतुलनीय वृद्धि की संभावना होगी। योजना के तहत आवेदक संस्था को ब्रोसर/केटलॉग वेबसाईट निर्माण हेतु 1.00 लाख रुपये तक की सहायता निर्माण दिये जाने का प्रावधान है।

(2) **रिवाल्विंग फण्ड योजनाः**— प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों को कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 'रिवाल्विंग फण्ड योजना'राज्य शासन द्वारा प्रारंम्भ की गई है अर्थात् बुनकर समिति के अकार्यशील करघों को कार्यशील करने हेतु कार्यशीन पूंजी के रुप में प्रति करघा 15000 रुपये के मान से प्रति समिति अधिकतम 1.50 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

(3) **स्व. श्री बिसाहूदास महंत पुरस्कार योजनाः**— बुनकरों के कला कौशल एवं उत्कृष्ट डिजाईन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति वर्ष 1 बुनकर को 2.00 लाख रुपये का पुरस्कार और निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अधिकतम 02 बुनकरों को एक—एक लाख रुपये का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है।

(4) **दीनदयाल सर्वश्रेष्ठ हाथकरघा बुनकर पुरस्कार योजनाः**— सूती क्षेत्र के हाथकरघा बुनकरों को कला कौशल के संरक्षण एवं उत्कृष्ट डिजाईन को प्रोत्साहित करने हेतु 02 बुनकरों को एक—एक लाख रु. का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है।

(5) **अनुसंधान एवं डिजाईन विकास योजनाः**— इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के हाथकरघा वस्त्रों में नये डिजाईनों के विकास एवं अनुसंधान हेतु बुनकर सहकारी समितियों को प्रोजेक्ट के मान से सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(6) **बाजार अध्ययन एवं हाथकरघा प्रदर्शनीः**— प्रदेश के हाथकरघा वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु बाजार अध्ययन एवं हाथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन हेतु प्रोजेक्ट के मान से सहायता की जाती है।

(7) **बुनकर आवास सह वर्कशेड हेतु सहायताः**— उक्त योजनांतर्गत आवास विहीन बुनकर या जिन बुनकरों का मकान कच्चा व छोटा है उन्हे प्रति बुनकर राशि 2.50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।

(8) **पुरस्कृत बुनकरों को मासिक आर्थिक सहायताः**— राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर हाथकरघा वस्त्र बुनाई में पुरस्कृत बुनकर जिसकी आयु 60 वर्ष या अधिक हो गया है उन्हे रु. 5000 तक की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है तथा पुरस्कृत बुनकर की मरणोपरान्त उनके उपर आश्रित पति/पत्नी को रु. 3000 तक की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इसके लिए पुरस्कृत बुनकर परिवार की वार्षिक आय राशि रुपये 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएंः

1 **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रमः** राष्ट्रीय हाथरकघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) हाथरकघा के एकीकृत और समग्र विकास तथा हाथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। यह योजना कच्चे माल , डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिक उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से मार्केटिंग सहायता, शहरी हाट के रुप में स्थायी अवसंरचना, मार्कैटिग परिसरों, हाथकरघा उत्पादों आदि की ई—मार्केटिंग के लिए वेब पोर्टल के विकास हेतु स्वयं सहायता समूहों,गैर सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारी क्षेत्र के भीतर और बाहर बुनकरों को सहायता करती है। योजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैः—

अ. **क्लस्टर विकास कार्यक्रम**

यह एनएचडीपी के घटकों में से एक है, सीडीपी एक विजिबल एन्टिटी के रुप में बुनकरों के समूहों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि समूह आत्मनिर्भर बन सकें। क्लस्टर की आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक क्लस्टर के लिए सहायता की मात्रा, क्लस्टर संगठन की तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता की परिकल्पना की गई गतिविधियों के दायरे, परिपक्वता के स्तर और क्लस्टर के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड आदि के आधार पर आवश्यकता आधारित होती है। भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुमेय वित्तीय सहायता प्रति क्लस्टर 2.00 करोड़ रुपये तक है।

2018—19 से 2020—21 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत क्लस्टर (31.01.2022 तक)

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत क्लस्टरों की संख्या
1	2018—19	16
2	2019—20	21
3	2020—21	02
4	2021—22 (31.1.2022)	66

(स्त्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 2021—22 , वस्त्र मंत्रालय , भारत सरकार)

ब. हाथकरघा मार्केटिंग सहायता

हाथकरघा मार्केटिंग सहायता का मुख्य उद्देश्य बुनकरों एवं हाथकरघा संगठनों को अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए मार्केटिंग मंच प्रदान करना है। एचएमए के घटक (क) घरेलू मार्केटिंग संवर्धन, (ख) हाथकरघा निर्यात संवर्धन, (ग) शहरी हाट की स्थापना और (घ) मार्केटिंग प्रोत्साहन हैं। इस घटक के मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं:–

1. **एक्सपो, कार्यक्रमों एवं शिल्प मेलों का आयोजनः** राष्ट्रीय हाथकरघा संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्रों और राज्य सरकार की नामांकित हाथकरघा एजेंसियों को हाथकरघा उत्पादों को जिले से राष्ट्रीय स्तर तक बेचने के लिए शिल्प मेला,अन्य मार्केटिंग कार्यक्रम आदि राष्ट्रीय हाथकरघा एक्सपो (एनएचई) और विषेष हाथकरघा एक्सपो (एसएचई), जिला हाथकरघा एक्सपो (डीएचई) जैसे मार्केटिंग कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान स्वीकृत कार्यक्रम इस प्रकार हैं:–

वर्ष	स्वीकृत कार्यक्रम	जारी की गई राशि (करोड रु. में)
2018–19	165	16.34
2019–20	127	14.76
2020–21	070	16.20
2021–22 (31.1.2022 के अनुसार)	179	26.13

(स्त्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 , वस्त्र मंत्रालय , भारत सरकार)

2. **निर्यात संवर्धनः** हाथकरघा निर्यात संवर्धन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों ,सेलर्स–बायर्स मीट आदि में भाग लेने तथा नवीनतम डिजाइन, रुझान, रंग, पूर्वानुमान आदि उपलब्ध कराने के लिए हाथकरघा सहकारी समितियों, निगमों/शीर्ष और हाथकरघा निर्यातकों की सहायता करना है। इस घटक के तहत, (1) निर्यात परियोजनाओं (2) बीएसएम/आरबीएसएम का आयोजन तथा (3) विविध प्रचार गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए अंतराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 2018–19 के दौरान एचईपीसी ने 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्षनियों में भाग लिया। वर्ष 2018–19 के दौरान हाथकरघा वस्तुओं का निर्यात 2399.39 करोड रुपए तथा वर्ष 2019–20 में 2448.33 करोड रुपए रहा। वर्ष 2019–20 के दौरान एचईपीसी ने 9 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया है और 2020–21 में एचईपीसी ने 10 वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन किया है तथा हाथकरघा उत्पादों का निर्यात 1644.78 करोड रुपये हुआ। वर्ष 2021–22 के दौरान एचईपीसी ने 31.10.2021 तक 02 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया था और हाथकरघा उत्पादों के निर्यात में 1266. 95 करोड रुपये की उपलब्धि हासिल की।

3. **हैंडलूम मार्कः** हैंडलूम मार्क खरीदारों को गारंटी के रुप में सेवा देने के लिए वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया है कि उनके द्वारा खरीदा जा रहा उत्पाद एक वास्तविक हस्तनिर्मित उत्पाद है और पावरलूम या मिल निर्मित उत्पाद नहीं है। हैंडलूम मार्क को समाचार पत्रों और पत्रिका, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सिंडिकेटेड लेखों, फैशन शो, फिल्मों आदि में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित और लोकप्रिय किया जाता है। वस्त्र समिति हैंडलूम मार्क के प्रचार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार हैंडलूम मार्क के लिए कुल 22639 पंजीकरण जारी किए गए हैं। 815 खुदरा आउटलेट हैंडलूम मार्क लेबल वाले हाथकरघा सामान बेच रहे हैं।

4. **इंडिया हैंडलूम ब्रांडः** ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सामाजिक एवं पर्यावरणात्मक अनुपालनों के अलावा कच्ची सामग्री, प्रासेसिंग,बुनाई एवं अन्यक मानकों की दृष्टि से उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि हेतु माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 07.08.2015 को प्रथम हाथकरघा दिवस के अवसर पर इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएसवी) का शुभारंभ किया गया था। इंडिया हैंडलूम ब्रांड केवल उत्कृष्ट हस्त निर्मित उत्पादों के इच्छुक ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले त्रुटिरहित प्रीमियम एवं प्रामाणिक हाथकरघा उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है। इंडिया हैंडलूम ब्रांड का उद्देश्य बुनकरों के लिए विशेष

बाजार स्थान तथा आय में वृद्धि करना है।

5. **मार्केटिग प्रोत्साहनः** हाथकरघा उत्पादों के मार्केटिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करने के लिए हाथकरघा एजेंसियों को मार्केटिंग प्रोत्साहन दिया जाता है। हाथकरघा एजेंसी को इस राशि का उपयोग उन गतिविधियों के लिए करना है जो उपभोक्ताओं को हाथकरघा वस्तुओं की समग्र ब्रिकी को बढ़ाने के लिए आकर्षित करेगी। यह अवधारणा परिकल्पना हाथकरघा एजेंसियों को उत्पादों की बढ़ती लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, डिजाइन में सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए अपनी कीमतों को समायोजित करने में सक्षम बनाती है ताकि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हो सके। इन प्रोत्साहनों की गणना पिछले 3 वर्षों के हाथकरघा उत्पादों की औसत ब्रिकी पर 10 प्रतिशत की दर से की जाती है जिसे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच समान रुप से साझा किया जाएगा। मार्केटिंग प्रोत्साहन (एमआई) सहायता के लिए राज्य हाथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और राष्ट्रीय स्तर के हाथकरघा संगठनों के लिए पात्र होगी। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 22.61 करोड़ रुपये और वर्ष 2018–19 के दौरान 26.36 करोड़ रुपये वर्ष 2019–20 के दौरान 36.66 करोड़ रुपये और 2020–21 के दौरान 57.17 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2021–22 के दौरान 12.95 करोड़ रुपये जारी किये गये है।

6. **ई.–मार्केटिंगः** सामान्य रुप से हाथकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने और विशेष रुप से इसे युवा पीढ़ी के ग्राहकों तक पहुँचाने के उद्देश्य से हाथकरघा उत्पादों की ई–मार्केटिंग को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और प्रभावों ढंग से बढ़ावा देने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। अब तक 23 ई–कामर्स इकाइयां अनुमोदित की गई और दिनांक 15.02.2021 तक 132.39 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है।

7. **राष्ट्रीय हाथकरघा दिवसः** हाथकरघा उद्योग के बारे में जागरुकता पैदा करने और देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में इसके योगदान और बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के रुप में अधिसूचना संख्या 2 (14)/2015/डीसीएच/पीएंडई दिनांक 29 जुलाई 2015 के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। वर्श 2015 से शुरु होकर हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस मनाया जाता है। अभी नई चेन्नई, वाराणसी, गुवाहाटी, जयपुर, भुवनेश्वर और नई दिल्ली (2) (वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर) में 07 राष्ट्रीय हाथरकघा दिवस आयोजित किए जा चुके हैं।

8. **हाथकरघा पुरस्कारः** वस्त्र मंत्रालय हाथकरघा बुनकरों को हाथरकघा क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र प्रदान करता है।

9. **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतकः** वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है और इनका दूसरों द्वारा अनाधिकृत प्रयोग किये जाने से रोका जाता है। पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता 1.50 लाख रुपए और प्रषिक्षण तथा सूचना के प्रचार–प्रसार आदि के लिए 1.50 लाख रुपए हैं। अभी तक इस अधिनियम के तहत 72 हाथकरघा उत्पादों को पंजीकृत किया गया है।

10. **जेमऑन–बोर्डिगः** विकास आयुक्त (हाथकरघा) और जेम (सरकारी ई–मार्केट प्लेस पर) प्राधिकारियों द्वारा बुनकरों, सहकारी समितियों और हाथरकघा एजेंसियों को जेम पर पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि सरकारी विभागों को हाथकरघा विभागों की सीधी बिक्री के लिए मार्केटिंग सुविधाएं प्रदान की जा सकें और उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। अभी तक 1,49,429 बुनकरों और बुनाई इकाइयों को जेम वेब पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

स. मेगा हैंडलूम क्लस्टर

व्यापक विकास योजनाएं की रुपरेखा तैयार करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मेगा हैंडलूम क्लस्टरों को उनके समग्र विकास के लिए शुरु किया जायेगा। प्रत्येक मेगा हैडलूम क्लस्टर में कम से कम 10,000 हाथकरघों

का शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रति मेगा क्लस्टर 30.00 करोड़ रुपये तक का भारत सरकार का योगदान होगा। प्रत्येक मेगा क्लस्टर की प्रकृति और सहायता का स्तर आवश्यकता आधारित होगा। परियोजना की अवधि 5 वर्ष है।

वित्त पोषण की पद्धति

सामान्य राज्य–भारत सरकारः राज्य सरकार /आईए–80:20 पूर्वोतर राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड–भारत सरकारः राज्य सरकार /आईए– 90–10 प्रतिशत जम्मू के संघ शासित राज्य, कश्मीर और लदाख, भूमि की लागत राज्य सरकार/कार्यान्वयन द्वारा वहन की जाती है और यह परियोजना लागत का हिस्सा नहीं होगी। अब तक आठ मेगा हैंडलूम क्लस्टरों की शुरुआत हो चुकी है।

द. हाथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती ऋण

ये ऋण तीन वर्षों की अवधि के लिए 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किये जाते हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा ब्याज सहायता की सीमा 7 प्रतिशत तक है। प्रति हाथकरघा बुनकर 25,000 रुपये तक और प्रति हाथकरघा संगठन के लिए प्रत्येक 100 बुनकर/कामगार के लिए 2.00 लाख रुपये की दर से 20.00 लाख रुपये तक की दर से मार्जिन मनी सहायता बढाई गई है। क्रेडिट गारंटी शुल्क भी तीन साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। ऑनलाइन दावे और मार्जिन मनी ब्याज सब्सिडी तथा क्रेडिट गारंटी शुल्क के वितरण के लिए वित्तीय सहायता के समय पर अंतरण हेतु पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से हाथकरघा बुनकर मुद्रा पोर्टल नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है। मार्जिन मनी सीधे बुनकर के ऋण खातें में अंतरित की जाती है तथा ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी शुल्क बैंकों को हस्तांतरित किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान 119.86 करोड़ रुपये की स्वीकृत/संवितरित राशि के साथ 22353 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान 47.38 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ 31.03.2021 तक 8456 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष 2021–22 (30.1.2022 तक) के दौरान, 42.05 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ 7575 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

इ. हाथकरघा बुनकर कल्याण

संशोधित दिशा –निर्देशों के अनुसार हाथ करघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना का नाम बदलकर हाथकरघा बुनकर कल्याण कर दिया गया है, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार देश भर में हाथकरघा बुनकरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम के एक घटक के रुप में कार्यान्वित किया जाता हैः

- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):–** पीएमजेजेबीवाई एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जो साल–दर–साल आधार पर नवीकरणीय होगा। इसके लिए 18–50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी हाथकरघा बुनकर/कामगार पात्र हैं। किसी भी कारण से लाभार्थी की मृत्यु पर 2.00 लाख रुपये देय है। 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा इस प्रकार हैः

भारत सरकार का हिस्सा	150 रुपये
राज्य सरकार /लाभार्थी का हिस्सा	180 रुपये
कुल प्रीमियम	330 रुपये

(स्त्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 , वस्त्र मंत्रालय , भारत सरकार)

- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):–** पीएमएसबीवाई एक बीमा योजना है जो मृत्यु अथवा दिव्यांगता के लिए दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जो साल–दर–साल आधार पर नवीकरणीय होगा। इसके लिए 18–70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी हाथकरघा बुनकर/कामगार पात्र हैं। उपलब्ध जोखिम कवर दुर्घटना मृत्यु/स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर 2.00 लाख रुपये और स्थायी

आंशिक दिव्यांगता पर 1.00 लाख रुपये होगा। 12 रुपये का पूरा वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

- **परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई):** परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना एक ऐसी बीमा योजना है जो 51–59 वर्ष की आयु समूह बाले ऐसे हाथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए मृत्यु अथवा दिव्यांगता के लिए जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है जो दिनांक 31.05.2017 को एमजीबीबीवाई के तहत पहले से ही शामिल है। प्राकृतिक मृत्यु पर 0.60 लाख रुपये,दुर्घटनावश मृत्यु/पूर्ण दिव्यांगता पर 1.50 लाख रुपये और आंषिक दिव्यांगता पर 0.75 लाख रुपये का जोखिम कवर उपलब्ध होगा। 470 रुपये के वार्षिक प्रीमियम का हिस्सा निम्नानुसार है:

भारत सरकार का हिस्सा	290 रुपये
राज्य सरकार /लाभार्थी का हिस्सा	180 रुपये
कुल प्रीमियम	470 रुपये

- **पुरस्कार विजेता बुनकरों/कामगारों को विकट परिस्थितियों में वित्तीय सहायता:** 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरस्कार विजेता (पदम श्री/संत कबीर/राष्ट्रीय/राज्य) हाथकरघा/कामगारों जिनकी जिला कलेक्टर (डीसी) द्वारा प्रमाणित वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम है को विकट परिस्थितियों में प्रति पुरस्कार विजेता 8,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।
- **छात्रवत्ति:** केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वस्त्र संस्थानों से 3/4 वर्षीय डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए हाथकरघा बुनकरों/कामगारों के बच्चों (2 बच्चों तक) को अधिकतम 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति के रुप में वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

हाथकरघा की सुरक्षा आर हाथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम 1985 का कार्यान्वयन

हाथकरघा की सुरक्षा और हाथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम 1985 के कार्यान्वयन का उद्देश्य हाथकरघा बुनकरों की आजीविका तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण से उन्हे संरक्षण प्रदान करना है। इस समय दिनांक 3.9.2008 के संख्या.एस.ओ.2160 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत केवल हाथकरघों पर उत्पान के लिए कुछ विनिर्देशों के साथ 11 प्रकार की वस्त्र मदें आरक्षित है। विभिन्न कार्यान्वायन एजेंसियों द्वारा (31.1.2022 की स्थिति के अनुसार) किए गए विद्युतकरघा निरीक्षणों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका

क्र.सं.	वास्तविक प्रगति	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (31.01.2022)
1.	विद्युतकरघा निरीक्षणों का लक्ष्य	3,67,860	4,01,400	1,58,160	1,58,160
2.	निरीक्षित विद्युतकरघों की संख्या	3,85,557	4,08,660	1,81,530	1,25,539
3.	दर्ज एफआईआर की संख्या	67	88	11	49
4.	दोष सिद्धि	66	62	34	26

(स्त्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 , वस्त्र मंत्रालय , भारत सरकार)

- **हाथकरघा संगठन**

1. **हाथकरघा निर्यात संवर्धन परिशद् (एचईपीसी):–** हाथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् (एचईपीसी) फैब्रिक्स, होम फार्निशिंग,कारपेट और फ्लोरकवरिंग आदि जैसे सभी हाथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नोडल एजेंसी है। एचईपीसी का गठन 96

सदस्यों के साथ 1965 में किया गया और समूचे देश में इसकी वर्तमान सदस्यता 1332 है। एचईपीसी का मुख्यालय चेन्नई में है और क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। एचएचईपीसी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार संवर्धन एवं अंतरर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए भारतीय हाथकरघा निर्यातकों तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को सभी प्रकार की सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है।

2. **राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी)**:– परम्परागत और समसामयिक डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001 में राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) की स्थापना की गई है ताकि हाथकरघा क्षेत्र को तेजी से बदलती बाजार की मांग के अनुरुप बनाया जा सके। इस समय एनसीटीडी दिल्ली स्थित बुनकर सेवा केन्द्र (डब्लूएससी) के परिसर से कार्य कर रहा है। वित्त वर्ष 2021–22 (दिसम्बर 2021 तक) के दौरान, कुल 333 डिजाइन नामित किए गए है जिन्हें अभी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना हैं। एनसीटीडी की वेबसाइड अभी विकसित की जानी है। वेबसाइट विकसित होते ही उसे शीघ्र अपलोड कर दिया जायेगा।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में बुनकरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय और राज्य विकासात्मक योजनाओं को लागू कर रही है। राज्य में 17400 हथकरघा हैं, जिनमें से सहकारी क्षेत्र में लगभग 8800 हथकरघा शामिल है। एकीकृत हाथकरघा विकास योजना द्वारा छत्तीसगढ़ हाथकरघा सहित कई क्षेत्रों में हाथकरघा क्षेत्र का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। जिन दस क्षेत्रों का चयन किया गया है वे हैं मुंगझर (गरियाबंद), कटगी (बलौदाबाजार), छुईखदान (राजनांदगांव), बजावंद (बस्तर), चंपा, चंद्रपुर (जांजगीर–चांपा),सालडीह, भंवरपुर (महासमुंद) लोफंडी (बिलासुपर), रायगढ़।

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में बुनकरों के जीवन–स्तर को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न राज्य विकासात्मक योजनाओं को लागू कर रही है। राज्य में 17400 हाथकरघा है, जिनमें से सहकारी क्षेत्र में लगभग 8800 हाथकरघा शामिल हैं। हाथकरघा के आधुनिकीकरण के लिए सहायक, नवीन बुनाई प्रशिक्षण, सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण, अंशपुंजी ऋण, धनस्थान, परिक्रामी निधि योजना, स्व.बिसाहुदास महंत पुरस्कार योजना, दीनदयाल सर्वश्रेष्ठ हाथकरघा बुनकर पुरस्कार योजना, कबीर पुरस्कार योजना, बाजार सर्वेक्षण और प्रदर्शनी योजना, अनुसंधान और विकास योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना, विपणन और निर्यात प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय हाथकरघा एक्सपो जैसी कल्याणकारी योजना, जिला स्तरीय कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में ग्रामीण उद्योग निदेशालय (हाथकरघा क्षेत्र) द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं हैं।

संदर्भ सूची

1. वार्षिक रिपोर्ट, 2021–22: वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार.
2. सिंह चांदनी एवं प्रधान विजेन्द्र (2019) 'उत्तर प्रदेश में हाथकरघा बनुकारों की समस्याएं' वाराणसी जनपद का अध्ययन, *International journal of Innovative Social Science and Humanities Research,* Vol 6, No.3, July- sept, page 29, 30.
3. देवांगन दीपा एवं टांडेकर के. एल. (2018) ''ग्रामीण उद्योगों का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका'' (राजनांदगाव जिले में खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत हाथकरघा उद्योग के विशेष संदर्भ में)। V Publication, *International Journal of Reviews and Research in social sciences,* Vol.6, Issue-2, Page 183, 184.
4. जोशी प्रमोद (2018) ''हाथकरघा उद्योग में रोजगार की अपार क्षमता'', *कुरुक्षेत्र,* मासिक अंक 12, अक्टूबर 2018, पृष्ठ 24, 25.
5. देवांगन बलभद्र प्रसाद (2017) ''हाथकरघा कोसा बुनकरों का आय विश्लेषण'' (रायगढ़ जिले के विशेष

संदर्भ में) *KAAV International Journal of Economics, commersce and Business Management,* July- sep., Vol-4 /ISSN-3/A-43, page No. 292,293.

6. वार्षिक आमसभा पत्रिका (2013–14) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर.
7. Dewangan, B.P. (2005): ' An Analytical Industry of Income and living stendard of Handloom Kosa Weavers' (Special Referance to Raigarh District) Unpublished Ph-D. Thesis, Guru Ghasidas University, Bilaspur (C.G.)
8. पाण्डेय इति (1991) ''हाथकरघा उद्योग में रोजगार एवं आय का अध्ययन'' (रायगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में), शोध–प्रबंध, गुरु घासीदास वि.वि., बिलासपुर.
9. पाण्डेय अंजली कुमार (1988), ''बस्तर जिले के कोसा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का रोजगार एवं कार्यदशाओं का अध्ययन'', शोध–प्रबंध, रविशंकर वि.वि., रायपुर.
10. Ambest B.P. (1973) : Kosa Industry in Chhattisgarh, Ph.D. Thesis, R.S.U.,Raipur.
11. Naneker, R. K. (1960) : Handloom Industry in Madhyapradesh, Ph.D. Thesis, University of Nagpur.
12. https:// ruralindustries.cg.gov.in.

****